

कार्यालय, नगर पालिक निगम, भिलाई

क्रमांक/एफ- / 1/ सा.प्र.वि. / शि.जां. / 20 / १५७४

भिलाई, दिनांक २५.१.२०२०

//आदेश//

श्री महेन्द्र बाघमार, हेल्पर/क्लीनर योजना शाखा द्वारा बिना सूचना के कार्य पर अनुपस्थित होने के पश्चात् भी निष्ठा एप में उपस्थिति दर्ज किया गया जो कि अनुशासनहीनता का द्योतक है।

अतः छ.ग. सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के (1)(2)(3) के अन्तर्गत कार्यवाही करते हुए श्री महेन्द्र बाघमार, हेल्पर/क्लीनर योजना शाखा को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में मुख्यालय जोन क्रमांक 01 अनुविभाग कार्यालय रहेगा तथा निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।


(ऋतुराज रघुवंशी)
आई.ए.एस

आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई
भिलाई, दिनांक २५.१.२०२०

पृ.क्र-एफ- / 1/ सा.प्र.वि. / शि.जां. / 20 / १५७५

प्रतिलिपि :-

1. महापौर/अध्यक्ष, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
2. उपायुक्त 01/02, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
3. लेखाधिकारी/जनसंपर्क अधिकारी, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
4. प्रभारी अधिकारी योजना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
5. जोन आयुक्त जोन क्रमांक 01 नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
6. अधीक्षक स्थापना, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
7. प्रोग्रामर, डाटा सेंटर नगर पालिक निगम भिलाई को विभागीय बेवसाईड में अपलोड करने हेतु।
8. स्टेनो टू आयुक्त, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
9. प्रभारी स्थापना लिपिक, नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।
10. श्री महेन्द्र बाघमार, हेल्पर/क्लीनर योजना शाखा नगर पालिक निगम, भिलाई को सूचनार्थ।


आयुक्त
नगर पालिक निगम
भिलाई